न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 52/22

GCMS NO 2022/83

श्रीचंद पुत्र भौरया जाति मीना निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गीता देवी पत्नि रूपसिह जाति मीना निवासी मेंगराखुर्द तहसील मासलपुर जिला करौली
2. श्रीमती शीला देवी पत्नि गिर्राज लाल जाति मीना निवासी दीपपुरा तहसील व जिला करौली
3. तहसीलदार लैण्ड होल्डर एवं पंजीयन अधिकारी करौली तहसील व जिला करौली

(अपील विरूद्ध मु0नं0 7/17 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.20 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम सुन्दर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री ईशाख अहमद

दिनांक 31.01.25

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.20 न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात ख0न0 1828 रकबा 10 विस्वा वाके ग्राम दीपपुरा पटवार क्षेत्र मांची मे स्थित है। जिसमे से कुछ आराजीयात का हिस्सा सडक मे आ गया है। मुताबिक जमाबंदी वादिया का हिस्सा 315/1000 है जिस पर वादिया वहैसियत खातेदार काबिज है। जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 बगैर बंटवारा किये हुए आराजी हाईवे सडके के किनारे आ जाने से आवासीय प्लाट का नक्शा तैयार करवाकर प्लाट काटने पर उतारू है दिनांक 15.12.16 को जब वादिया अपनी आराजी पर गई तो प्रतिवादी न0 1 ने विवादित भूमि ख0न0 1828 मे लोगो को ले जाकर आवासीय भूखण्डो का नक्शा दिखा रहा था और प्लाट बेचने की बात चल रही थी। इस पर वादिया ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि बिना बंटवारे के ही बेचान क्यो कर रहे हो जब तक बंटवारा नही होता आप प्लाट नही बेच सकते। इस बात पर प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] गया तथा झगडा करने पर आमादा हो गया। इस प्रकार वादिया प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है तथा संयुक्त खातेदारी की आराजी का [illegible] हिस्सा बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादियां के हिस्से आई भूमि पर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने की

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balai
Date: 2025.04.22 15:35:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अधिकारी है। इस प्रकार विवादित आराजीयात ख0न0 1828 स्थित ग्राम दीपपुरा का बंटवारा किया जाकर मुताबिक वाद पत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादियां का वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 श्रीचंद द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो व साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी न0 1/अपीलांट की जबाब देही पर किसी प्रकार का कोई गौर नही किया है। अपीलांट द्वारा जबाब मे वाद पत्र के पैरा संख्या 1 का जबाब देते वक्त ही रेस्पो/वादिया का विवादित आराजीयात ख0न0 1828 ग्राम दीपपुरा मे किसी प्रकार का कोई हिस्सा नही होना दर्ज किया है तथा पैरा संख्या 2 मे भी स्पष्ट रूप से अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि वादिया इस दावे की आड मे ख0न0 1828 पर जबरन कब्जा करना चाहती है। वादिया का बिना पजेशन के आधार पर किया गया दावा खारिज योग्य है। वादियां द्वारा अपीलांट को नाजायज रूप से परेशान करने के लिए दावा पेश किया गया है। अपीलांट द्वारा वादिया को किसी प्रकार की कोई धमकी नही दी गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की जबाबदेही पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय को अपीलांट की जबाबदेही के अनुसार तनकी कायम कर आराजीयात मे वादिया का 315/1000 हिस्सा है वादियाा खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड अनुसार बंटवारा कराने की व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है , यह तनकी कायम करनी चाहिए थी। तथा इसी प्रकार आया विवादित आराजीयात मे वादिया का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा व कब्जा नही होने से वादिया किसी प्रकार का कोई बंटवारा कराने की अधिकारी नही है। यह तनकी प्रतिवादी के हिस्से कायम करनी चाहिए थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम नही की जाकर केवल मात्र पेपर एन्ट्री के आधार पर निर्णय पारित किया है। स्थाई निषेघाज्ञा के लिए मौके पर खातेदार का कब्जा होना अनिवार्य है। अपीलांट की जबाबदेही रही है कि वादीयां रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कभी कोई कब्जा नही रहा है। उक्त तथ्य के लिए पक्षकारान से सबूत लिया जाना आवश्यक था। आराजीयात ख0न0 1828 रकबा 10 विस्वा का बेचान न तो प्रतिवादियां न0 2 के हक मे कभी नही किया गया है ना ही किसी प्रकार का कोई कब्जा दिया गया है ना ही प्रतिवादियां न0 2 व 1 को कब्जा दिया जा सकता था प्रतिवादी रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा रेस्पो0संख्या 1 के हक मे जो बयनामा [illegible] किया गया है वह अपीलांट हकूको को शून्य एवं अप्रभावी है। क्योकि उक्त आराजीयात [illegible] 50 फीट भूमि छोडकर अपीलांट प्रतिवादी न0 1 की पक्की पाटोरपास [illegible] है। [illegible] का कुआ खुदा हुआ है। बोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:04 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है तथा उसमे बिजली का कनेक्शन किया हुआ है। यह निर्माण करीब 35–40 वर्ष पूर्व का है। ऐसी अवस्था मे वादियां रेस्पो0 न0 1 अथवा रेस्पो0 संख्या 2 को कब्जा दिया जाना असंभव है। और उनका कब्जा का कथन गलत है। वर्तमान मे अपीलांट का उक्त निर्माण मौके पर मौजूद है और अपीलांट की उक्त आराजीयात को काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। ऐसी अवस्था मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे वादिया के कथन एवं जबाबदेही अपीलांट के कथन की पुष्टि हेतु विवाधक विचरित कर विवाधको पर दोनो पक्षो की साक्ष्य लिया जाना व उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना न्याय निर्णय के लिए आवश्यक था, विधि का सुव्यवस्थित सिद्वान्त है कि किसी भी प्रकार की जब तक पूर्णरूपेण जॉच नही हो प्रकरण मे किसी प्रकार का निर्णय पारित नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अपीलांट 98 वर्ष का वृद्व व्यक्ति है अधिक उम्र होने एवं बीमार होने के कारण आने जाने व चलने फिरने मे परेशानी होने से वकील द्वारा अपीलांट को यह कह दिया कि जब भी आवश्यकता होगी बुलवा लिया जावेगा। अपीलांट वकील के विश्वास पर रह गया। जिसके कारण उक्त निर्णय की जानकारी समय पर नही हो सकी। पटवारी व नायब तहसीलदार के दिनांक 28.6.22 को मौके पर आने पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हो पाई। इस प्रकार जानकारी होने पर नकल प्राप्त की जाकर अपील प्रस्तुत की जा रही है। जो जानकारी के अनुसार अन्दर मियाद शुमार मानी जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.20 को निरस्त किया जाकर प्रकरण मे विवाधक विचरीत कर पुर्ण सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय का रिमाण्ड की जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि आराजीयात ख0न0 1828 रकबा 10 विस्वा वाके ग्राम दीपपुरा पटवार क्षैत्र मांची मे स्थित है। जिसमे से कुछ आराजीयात का हिस्सा सडक मे आ गया है। मुताबिक जमाबंदी वादिया गीता देवी पत्नि रूप सिह का हिस्सा 315/1000 है जिस पर वादिया वहैसियत खातेदार काबिज है। जिसके खातेदारी इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। अपीलांट द्वारा बगैर बंटवारा किये हुए आराजी हाईवे सडके के किनारे आ जाने से आवासीय प्लाट का नक्शा तैयार करवाकर प्लाट काटने पर उतारू है दिनांक 15.12.16 को जब रेस्पो/वादिया अपनी आराजी पर गई तो अपीलांट ने विवादित भूमि ख0न0 1828 मे लोगो को ले जाकर आवासीय भूखण्डो का नक्शा दिखा रहा था और प्लाट बेचने की बात चल रही थी। चूकि अभी आराजीयात का बिधिवत बंटवारा नही हुआ है इस कारण उसको संयुक्त खातेदारी की आराजीयात मे से भूमि बेचान करने का कोई अधिकार नही है। इस आराजीयात मे से रेस्पो0 शीला देवी पत्नि गिर्राज लाल का 2/5 हिस्सा है। उक्त आराजी मे से 0.02 है0 भूमि सडक हेतु अवाप्त हो चुकी है। शेष 8 विस्वा रकब रहता है। रेस्पो0 संख्या 2 शीला द्वारा अपना हिस्सा 2/5 दिनांक 2.6.2016 को रेस्पो0 संख्या 1 गीता को बेचान कर दिया गया है। इस प्रकार रेस्पो0 का उक्त भूमि पर अधिकार है। विवादित आराजीयात अपीलांट व रेस्पो0 की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से विधिवत बंटवारा कराये [illegible] प्रकार का बेचान नही हो सकता है। अपीलांट द्वारा भूमि मे प्लाट [illegible] होने के कारण ही वादिया/रेस्पो0 द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली मे उपलब्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:04 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जमाबंदी सम्वत 2069–70 ग्राम दीपपुरा एवं नक्शा शीट के अवलोकन से भूमि का विधिवत बंटवारा नही होना माना जाकर ही तहसीलदार करौली को 500/–रूपये की फीस पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर प्रकरण प्राथमिक डिक्री किया जाकर मौके अनुसार पक्षकारो मध्य प्रस्ताव तैयार करवाकर मांगा गया था। चूकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया है जिसकी अपील अपीलांट द्वारा की गई है। अभी प्रकरण मे फाईनल डिक्री होना शेष है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा केवल मात्र विवाद उत्पन्न कराने के उद्वेश्य से प्राथमिक डिक्री की अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। जो खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2069–72 ग्राम दीपपुरा पटवार हल्का मांची के ख0न0 1828 रकबा 0.10 है0 श्रीचंद पुत्र भोरया हिस्सा 3/5 , शीला देवी पत्नि गिर्राज लाल हिस 2/5 जाति मीना सा. देह दर्ज रिकार्ड है। चूकि शीला देवी पत्नि गिर्राज लाल द्वारा अपने हिस्से की आराजीयात 2/5 मे से गीता पत्नि रूपसिह हिस्सा 315/1000 जाति मीना निवासी मेगराखुद तहसील मासलपुर को बयनाम किया गया है जिसकी छाया प्रति पत्रावली मे उपलब्ध है। शीला देवी द्वारा अपने हिस्से 2/5 मे से हिस्सा 315/1000 को बेचान किये गये जाने के पश्चात शीला देवी पत्नि रूपसिह के नाम हिस्सा 85/1000 रहता है तथा हिस्सा 3/5 अपींलांट के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे संयुक्त खातेदारी की आराजीयात दर्ज है। रेस्पो/वादिया द्वारा विधिवत बंटवारा कराने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय मे की गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात को संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से तहसीलदार करौली को 500/–रूपये की फीस पर मौके के अनुसार बंटवारा स्कीम तलब की गई है। जो विधि के अनुरूप है। अभी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फाईनल डिक्री पारित नही की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के प्रकरण संख्या 7/17 मे पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.10.20 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.04.22 15:35:04 IST
Reason: SelfAttested